अपील सूचना अधिकार संख्या 107/2019 (RCMS 2019/00275) विजय कुमार जुनेजा, मकान नं. 44, गली नं. 8, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर – 335001 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर (भू.अ. श्रीगंगानगर

30.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कुमार जुनेजा स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जिला कलक्टर (भू.अ.), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्अर (भू.अ.) श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार जुनेजा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकार एवं जिला कलक्टर (भू.अ.), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> जिला कलक्टर (भू.अ.), श्रीगंगानगर को प्रेषित प्रार्थना पत्र जरिये ई.मेल दिनांक 07.08.2019 एवं श्पुनः स्मरण ई–मेल दिनांक 01. 10.2019 पर की गई कार्यवाही, उच्चाधिकारियों को निवेदन एवं सम्बन्धित अधिकारियों को दिये आदेश एवं उन द्वारा पालना में किए गए पत्र व्यवहार की नकले उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ9( )भू.अ. /लो.सू.अ./2019/6075 दिनांक 20.11.19 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कार्यालय हाजा से प्राप्त हुआ है। अतः आप कार्यालय समय में कार्यालय हाजा में उपस्थित हो नियमानुसार फलित राशि का पोस्टल ऑर्डर प्रदान कर नकलें दस्ती प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी
> प्रभारी अधिकारी(भू.अ.)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचित किया जा चुका है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को राजकोष में जमा करवाये जाने वाली राशि से अवगत करवायें और राशि जमा करवाने पर नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दें।

अतः अपीलार्थी की अपील **उक्तानुसार** निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी(भू.अ.शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ **भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई** जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर **खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर